



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092024-257607
CG-DL-E-30092024-257607

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/आश्विन 8, 1946

No. 34]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ASVINA 8, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

फा. सं. ए/1//2017-आईडब्ल्यूटी.—भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 3 की उप-धारा 3(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, श्रीमती रिचा मिश्रा, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर श्री पुनित अग्रवाल, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (अतिरिक्त प्रभार), को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के बोर्ड के एक अंश-कालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

आर. लक्ष्मणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2024

F. No. A/1/2017-IWT.—In exercise of the Powers conferred by Sub-Section 3 (d) of Section 3 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Central Government hereby appoints Shri Puneet Agarwal, AS & FA, Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Ports, Shipping and Waterways (additional Charge), as a part-time Member in the Board of Inland Waterways Authority of India (IWAI) in place of Mrs. Richa Misra, JS & FA, Ministry of Ports, Shipping and Waterways with immediate effect, until further orders.

R. LAKSHMANAN, Jt. Secy.